

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी:— हरभान मीणा आर.ए.एस.

(1) अपील स. 138/2010/75 एलआर एक्ट

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. बबूलाल गुप्ता पुत्र स्व. सुरजमल जाति गुप्ता निवासी ठाकूर जी मन्दिर के पास टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. आत्माराम गुप्ता पुत्र स्व. सुरजमल जाति गुप्ता निवासी ओवर ब्रिज के पास गोदारा कॉलोनी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. राधेश्याम गुप्ता पुत्र पुत्र स्व. सुरजमल जाति गुप्ता निवासी वार्ड नं. 21 मैडीकल मार्केट हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. लालचन्द गुप्ता पुत्र स्व. सुरजमल जाति गुप्ता निवासी वार्ड नं. 21 नजदीक रंगमंच नगरपालिका हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. प्रहलाद गुप्ता पुत्र स्व. सुरजमल जाति गुप्ता निवासी वार्ड नं. 21 नजदीक रंगमंच नगरपालिका हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. श्रीमति शारदादेवी पत्नि हनुमान प्रसाद पुत्र स्व. सुरजमल जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 20 संजय चौक भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. श्रीमति निर्मलादेवी पत्नि जनकीराज पुत्री स्व. सुरजमल जाति अग्रवाल निवासी मकान न. 1096 अग्रसेन नगर श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. श्रीमति सुमित्रा देवी पत्नि विजयकुमार पुत्री स्व. सुरजमल जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 15 जीतू वार्ड पार्शक के नजदीक पंजाबी मोहल्ला हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—अपीलाण्टस

बनाम

1. सुन्दरलाल पुत्र बीरबल जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़ टाउन।

—रेस्पोंडेण्ट

उपस्थित :-

1. श्री खुशकरण सिंह खोसा, राजकीय अधिवक्ता अपीलाण्ट सं. 1
2. श्री प्रद्युम्न सिंह परमार अधिवक्ता अपीलाण्टस
3. श्री छगनलाल सिड़ाना अधिवक्ता रेस्पोंड

(2) अपील स. 05/2011/75 एलआर एक्ट

1. प्रहलाद पुत्र स्व. सुरजमल जाति अग्रवाल निवासी टिब्बी हाल हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. मु० रूक्मणीदेवी विधवा सुरजमल जाति अग्रवाल निवासी टिब्बी हाल हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. सुन्दरलाल पुत्र बीरबलदास जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3. बाबूराम पुत्र स्व. सुरजमल जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. आत्माराम पुत्र स्व. सुरजमल जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. राधेश्याम पुत्र स्व. सुरजमल जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. रामनिवास पुत्र स्व. सुरजमल जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. लालचंद पुत्र स्व. सुरजमल जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. शारदादेवी पुत्री स्व. सुरजमल जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. निर्मला पुत्री स्व. सुरजमल जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
10. शंकुतला पुत्री स्व. सुरजमल जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
11. सुमित्रा पुत्री स्व. सुरजमल जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—रेस्पोंडेण्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 28.05.2010 उपखण्डाधिकारी टिब्बी
प्रकरण सं० 165/2009 अनवानी सुन्दरलाल बनाम सरकार

उपस्थित :-

1. श्री प्रद्युम्न सिंह परमार अधिवक्ता अपीलाण्ट
2. श्री खुशकरण सिंह खोसा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पों सं. 1
3. श्री छगनलाल अधिवक्ता रेस्पों 2

निर्णय

दिनांक : 08.03.2018

1. इस प्रकरण के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पों सं. 1 सुन्दरलाल ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चक 2 एसआरडब्ल्यू के प.न. 215/275 कि.न. 21 ता 24 की 2.09 बीघा व चक 5 एसआरडब्ल्यू प.न. 214/276 कि.न. 1 ता 5 की 3.18 बीघा भूमि को आवंटी ठाकरदास जाति बिश्नोई व सूर्यमल जाति अग्रवाल से जरिये बैयनामा क्रय करना दर्शित करते हुए उक्त भूमि की सनद जारी किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पों के उक्त आवेदन के आधार पर रिपोर्ट तहसील प्राप्त होने के उपरांत अपीलाधीन आदेश के जरिये नियमन आदेश जारी किया गया, जिससे व्यथित होकर उपरोक्त दो अपीले प्रस्तुत की गई है। जो स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 28.05.2010 निरस्त किया गया और प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि अपीलांट सं. 2 व 3 को इस प्रकरण में पक्षकार बनाकर व उभयपक्षों व सूचना व सुनवाई का समुचित अवसर देवे

तथा मूल आवंटन की पत्रावली तलब कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। जिसके विरुद्ध रेस्पो0 सुन्दरलाल ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील सं. 3631/2012 प्रस्तुत की, जो दिनांक 30.01.2013 को आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ पारित निर्णय दिनांक 30.03.2012 को निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय स्वयं के स्तर पर विवादित आराजी के मूल आवंटन की पत्रावली तलब कर उसका विधिक परीक्षण करे तथा पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। दोनो अपीले एक ही आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत होने एवं समान भूमि होने के कारण उक्त दोनो अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

2. उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. अपील सं. 138/10 के अपीलाण्ट जो कि अपील सं. 05/2011 के रेस्पो0 सं. 1 है, के विद्वान राजकीय अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय का विधिक प्रावधानों के विपरीत है। रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रश्नगत भूमि को मूल आवंटन से खरीद करना बताया है परन्तु प्रश्नगत भूमि से संबंधित आवंटन आदेश ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे मूल आवंटन द्वारा भूमि का बैचान किया जाना सिद्ध नहीं था इसलिए किसी भी सूरत में नियमन नहीं किया जा सकता था। प्रश्नगत भूमि का नियमन करने से पूर्व मूल आवंटन द्वारा आवंटन की अगर कोई राशि बकाया थी तो खजाना राज में जमा करवाई गई या नहीं इस तथ्य की कोई भी रिपोर्ट पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं हुई और ना ही मूल आवंटन पत्रावली तलब की गई और ना ही कब्जा बाबत स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत हुए एवं विक्रय विलेख भी सिद्ध नहीं था जिससे भूमि का हस्तान्तरण सिद्ध नहीं था। इन तथ्यों पर किसी प्रकार का कोई विचार ना कर अपीलाधीन निर्णय से रेस्पो. के हक में गलत रूप से नियमन किया गया है। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी टिब्बी द्वारा पारित आदेश 28.05.10 त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।
4. अपील सं. 138/2010 के अपीलाण्ट सं. 6 एवं अपील सं. 05/2011 के अपीलाण्ट सं. 1 प्रहलाद के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो0 सुन्दरलाल द्वारा अपील क्रयशुदा भूमि बतलाकर नियमन करवाने हेतु चक 2 एसआरडब्ल्यू की 2.09 बीघा व चक 5 एसआरडब्ल्यू की 3.18 बीघा कुल 06.07 बीघा भूमि का नियमन करवाने हेतु प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में जो भूमि नियमन करवाने बाबत प्रार्थना पत्र सुन्दरलाल ने प्रस्तुत किया था वह भूमि

अप्रार्थीगण के पिता द्वारा जरिये विक्रय पत्र खरीदशुदा थी और उक्त प्रकरण मे अपीलांट प्रहलाद को सुन्दरलाल द्वारा जानबूझकर पक्षकार नही बनाया गया और मिथ्या तथ्यो व कब्जा की रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड अधिकारी के समक्ष बिना किसी अधिकारिता व स्वामित्व के नियमन राशि जमा करवाई और अविधिक रूप से दिनांक 28.05.2010 को निर्णय पारित किया गया और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। उक्त आदेश के विरुद्ध राजस्थान राज्य द्वारा न्यायालय मे अपील सं. 138/2010 प्रस्तुत की गई, उक्त अपील की जानकारी अपीलांट द्वारा उक्त प्रकरण मे पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र दिया और न्यायालय द्वारा अपीलांट को अपील अपीलांट सं. 2 व 3 के रूप मे पक्षकार संयोजित किया गया और उक्त अपील न्यायालय द्वारा गुणावगुण व समस्त दस्तावेज का व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन कर दिनांक 30.03.12 को विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया कि उपखण्ड अधिकारी टिब्बी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2010 निरस्त किया गया और अपीलांट को पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर दिया जाकर व मूल आवंटन की पत्रावली तलब कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उक्त निर्णय दिनांक 30.03.12 के विरुद्ध रेस्पो0 सुन्दरलाल ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे अपील 3631/2012 प्रस्तुत की जो दिनांक 30.01.2013 को आंशिक स्वीकार होकर प्रकरण रिमाण्ड किया गया और निर्देश दिया गया कि न्यायालय स्वयं के स्तर पर विवादित भूमि के मूल आवंटन की पत्रावली तलब कर उसका विधिक परीक्षण करे तथा पक्षकारो की सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नियत है।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर जो फर्दअहकाम लिखी गई, मे अंकित किया गया कि उक्त कृषि भूमि रिकार्ड मे ठाकरराम पुत्र गणेशाराम जाति बिश्नोई तथा अपीलांट के पिता व पति सुरजमल के नाम दर्ज और उक्त भूमि प्रत्यर्थी द्वारा अलॉटी के जरिये ईकरारनामा खरीद की हुई है और प्रार्थी को 12 बिन्दूओ का नोटिस जारी करने हेतु लिखा गया। जबकि यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि प्रत्यर्थी सुन्दरलाल को यह जानकारी थी कि उक्त भूमि का बैयनामा अपीलांट के पिता/पति सुरजमल के पक्ष मे कोई दस्तावेज प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया और ना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी से इसकी डिमाण्ड की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 12 बिन्दूओ के स्थान पर केवल 5 बिन्दू अपनी फर्द अहकाम मे दर्ज किये गये। जिसके शपथ पत्र प्रत्यर्थी द्वारा मिथ्या तथ्यो पर दिया गया व कब्जा के संबंध मे केवल मौका पर फर्द बनवाकर व फर्जी व्यक्तियों को पडोसी बतलाकर बनवाई गई, जबकि गिरदावरी के नाम सुरजमल का दर्ज था। यदि प्रत्यर्थी के पक्ष मे कोई इकरारनामा था

तो उसके द्वारा इकरारनामा की पालना हेतु सिविल न्यायालय में चाराजोई करनी चाहिए थी। इसके विपरीत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल आवंटन की पत्रावली भी तलब नहीं की और ना ही उक्त भूमि के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की गई और अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जो खारिज योग्य है। यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि आवंटी ठाकरराम पुत्र गणेशाराम द्वारा अपीलांटस के पिता/पति सुरजमल के पक्ष में बैयनामा निष्पादित किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुरजमल अथवा उसके वारिसान को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और ना ही उन्हें सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुरजमल पुत्र चिरंजीलाल के नाम से जमाबंदी में अंकन होना माना। यहां यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार शर्मा द्वारा कुल 124 कस्टोडियन प्रकरणों में निर्णय पारित किये गये जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के समक्ष एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 260 दिनांक 22.09.15 को दर्ज हुई है जिसमें उक्त प्रकरणों को भी शामिल किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय काबिले निरस्ती है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

6. अपील सं. 138/10 के रेस्पोंड सं. 1 जो कि अपील सं. 05/2011 में रेस्पोंड सं. 2 है, के विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट द्वारा अपील के तथ्यों का विरोध प्रस्तुत करते हुए अपील को मियाद बाहर होना बताकर निरस्त करने का निवेदन किया तथा बहस में यह कथन किया कि अपील मियाद बाहर है। इस विलम्ब को क्षमा दान करने हेतु जो कारण अपीलार्थी द्वारा बताये गये हैं उन कारणों के आधार पर विलम्ब को क्षमा नहीं किया जा सकता इसलिये अपील को मियाद के बिन्दु पर निरस्त करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक रेस्पोंड द्वारा बहस में निवेदन किया कि मियाद के बिन्दु के अतिरिक्त अपील के अन्तर्गत जो भी बिन्दु उठाये गये हैं वे कतई आधारहीन हैं रिकार्ड के विपरीत हैं समस्त रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 06.10.2009 की पालना में नियमानुसार रेस्पोंड के उक्त आवेदन पत्र के संबंध में समाचार पत्रों में आपत्ति बाबत सूचना प्रेषित की है। विवादित आराजी का रेस्पोंड द्वारा नियमानुसार नियमन शुल्क जमा करा दिया है। विवादित आराजी के बाबत किसी प्रकार की बकाया राशि न होने बाबत हल्का पटवारी ने रिपोर्ट पेश की है तथा उक्त रिपोर्ट में यह भी अंकित किया गया कि नियमित किये जाने वाले रकबे पर क्रेतागण का कब्जा साबित है। विवादित आराजी बाबत सम्पादित बैचान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के उल्लंघन में नहीं आता है। अपीलार्थी का

अन्य ऐतराज की इसमें रकम पूर्ण जमा थी या नहीं इसकी रिपोर्ट नहीं ली गई यह ऐतराज भी विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है। इसलिए उपरोक्त दोनों अपीले आधार हीन होने के कारण दोनों अपीले खारिज की जावे।

7. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट प्रहलाद द्वारा यह उक्त अपील बतौर तृतीय पक्ष प्रस्तुत की है। वादग्रस्त आराजी ठाकरदास पुत्र गणेशाराम जाति बिश्नोई को आवंटित हुई थी जो जमाबंदी में ठाकरदास पुत्र गणेशाराम जाति बिश्नोई व सुर्यमल पुत्र चिरंजीलाल जाति अग्रवाल अलॉटी रा.भा.सरकार के रूप में दर्ज थी। वादग्रस्त 13 बीघा भूमि का बैचान आवंटी ठाकरदास द्वारा सुरजमल को किया गया और सुरजमल उक्त 13 बीघा भूमि में से 6.10 बीघा भूमि की एक वसीयत सुन्दरलाल के पक्ष में निष्पादित कर दी गई तथा कुल भूमि सुरजमल द्वारा अन्य व्यक्ति महेन्द्र कुमार को बैचान कर दी। रेस्पोंड सुन्दरलाल के पक्ष में निष्पादित वसीयत को प्रबन्धक अधिकारी एवं जिला पुनर्वास अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा सही माना गया है। सुरजमल द्वारा निष्पादित वसीयत मिकर सुरजमल के छः पुत्र है। जिसमें बाबूलाल कई सालों से अलग है और शादीशुदा है उसको मकान की जमीन व 05.11 बीघा आराजी चक 2 एसआरडब्ल्यू की उसके नाम करवा रखी है। इसके अलावा इसी चक 2 एसआरडब्ल्यू की मिकर सुरजमल के पास 26 बीघा व चक 4 एसआरडब्ल्यू की 13 बीघा नाली प्रथम है इसमें से 31 बीघा भूमि बहिस्सा बराबर में अपने बाकी 5 पुत्रों यानि दातारामख राधेश्याम, रामनिवास, लालचंद व प्रहलादराय को बहिस्सा बराबर वसीयत करता हूं बाकी जो ठाकरदास से लगभग 7 बीघा ली हुई है उसका कुछ तनाजा है और मिकर के नाम कागजात माल नहीं है ये आराजी मिकर सुन्दरलाल पुत्र बीरबलदास जाति अग्रवाल जो मेरा भतीजा लगता है और मेरी सेवा चाकरी करता है वसीयत करके देता हूं कब्जा उसको दिया हुआ है। इस प्रकार सुरजमल द्वारा अपने समस्त छः वारिसान पुत्रों को अपने नाम दर्ज भूमि देते हुए रेस्पोंड सुन्दरलाल को जरिये वसीयत वादग्रस्त भूमि दी गई है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 06.10.09 को निष्क्रांत (कस्टोडियन) कृषि भूमि के निस्तारण एवं पूर्व आवंटियों को खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु नियमों के संबंध में परिपत्र जारी किया गया था, उक्त परिपत्र के अनुसार ऐसे प्रकरण जिनमें मूल आवंटियों ने खातेदारी अधिकार प्राप्त होने से पूर्व ही भूमि का बैचान औपचारिक/अनौपचारिक तरीके से किसी अन्य को कर दिया है और मौका पर मूल आवंटी के बजाय अन्य व्यक्ति काबिज है, तो ऐसे हस्तान्तरण को उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटन सलाहकार समिति से सलाह करके नियमन शुल्क एवं शास्ति नियमानुसार जमा करवाने के पश्चात हस्तान्तरण

का नियमन किये जाने का प्रावधान किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में मूल आवंटी द्वारा पंजीकृत विक्रय से सूरजमल को हस्तान्तरण किया गया है। उक्त विक्रय पत्र के क्रेता सूरजमल द्वारा सुन्दरलाल रेस्पों के पक्ष में वसीयत की गयी है। उक्त वसीयत भी हस्तान्तरण कको अनौपचारिक दस्तावेज की श्रेणी में परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार माना जावेगा।

8. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि वादग्रस्त भूमि ठाकरदास अलॉटी राष्ट्रपति भारत सरकार के रूप में दर्ज थी मूल आवंटी द्वारा पंजीकृत विक्रय से सूरजमल को हस्तान्तरण किया गया है। उक्त विक्रय पत्र के क्रेता सूरजमल द्वारा सुन्दरलाल रेस्पों के पक्ष में वसीयत की गयी है। उक्त वसीयत भी हस्तान्तरण कको अनौपचारिक दस्तावेज की श्रेणी में परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार माना जावेगा। वसीयत के आधार पर सुन्दरलाल का कब्जा भी डीआरओ के निर्णय एवं तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार साबित है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 06.10.2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत हस्तान्तरण नियमन योग्य है। वसीयत के आधार पर सुन्दरलाल का कब्जा रेस्पों सुन्दरलाल द्वारा प्रश्नगत बैयनामा व वसीयतनामा व प्रबन्धक अधिकारी एवं जिला पुनर्वास अधिकारी हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 28.05.2003 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय समक्ष खातेदारी अधिकार बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त परिपत्र के अनुसरण में हस्तान्तरण दस्तावेज आधार पर नियमन/खातेदारी के आदेश पारित किये गये। इस प्रकार उपरोक्त दोनों अपीलों में वर्णित तथ्यों को साबित करने में अपीलांट्स असफल रहने के कारण दोनों अपीले सारहीन होने के कारण खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2010 की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायोचित है।
9. उक्त विवेचन के अनुसार उक्त दोनों अपीले सारहीन होने के कारण की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2010 यथावत रखा जाता है। दोनों पत्रावलियों में निर्णय की प्रति पृथक पृथक रखी जावें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 08.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़